न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 42/2023

उनवान

1. ओमप्रकाश बैरवा पुत्र श्री रामनारायण, उम्र वयस्क, जाति बलाई, निवासी ए – 119, श्री कल्याण नगर, करतारपुरा, जयपुर, राज0।

– वादी

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र रतना
2. मुरलीधर पुत्र रतना
3. मंजू देवी पुत्री रामगोपाल
4. महेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल
5. रोहिताश पुत्र रामगोपाल
6. शकुन्तला देवी पत्नि रामगोपाल

   समस्त जाति बलाई, निवासी बिशनगढ, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
7. उपखंजीयक अधिकारी शाहपुरा/ मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)।
8. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपर, (राज0)।
9. आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक :– 20/5/24

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नंबर 1103/0.3100, 1104/0.3300, 593/0.1900, 594/0.0100, 595/0.2700, 596/0.1100, 598/2/0.2717, 599/0.1100, 633/0.0300, 648/0.2100, 650/0.1200 कुल किता 11 कुल रकबा 1.9617 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान खातेदारी में वादी का 44/197 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 73/197 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 35/197, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 प्रत्येक का 45/788, 45/788, 45/788 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है जमाबंदी संख्या 2074–2077 संख्या 199 संलग्न वाद पत्र पेश है। उक्त वर्णित आराजी में भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त आराजी खसरा नंबरान की भूमि पर शामिल में ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। उक्त

विवादित भूमि का खातेदारान् के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। इस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होंने वादी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और वादी को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने व अडचन पैदा करने लग गये है तथा उक्त भूमि में वादी के कब्जे के विशिष्ट भू भाग से जबरन बेदखल करने तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के उपजाउ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियों के पक्ष मे करने को आमादा है।

कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण अजनबी व्यक्तियों को लेकर वादी के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी मुतनाजा की भूमि पर आये और उक्त विवादित भूमि की सीमाएं बेचान करने के उद्देश्य से दिखाने लगे व मौके पर नाप जोख करने लगे तो वादी ने नापजोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट व ऊपजाऊ भाग को बेचेगे इसलिए नाप जोख कर रहे है जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया कि अपनी भूमि का तकास्मा नहीं हुआ है, एवं आपको किसी भी विशिष्ट भू भाग को बिना तकास्मा करवाये बेचान हस्तानान्तरण करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस पर प्रतिवादीगण ने एलानियां कहा है कि हम तो बिना तकासमा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ भूभाग का बेचान दीगर लठैत व्यक्तियो को करेगे जो तुम्हे अपने आप जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देगे तथा तथा अबकी बार तुझे फसल काश्त नहीं करने देगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण की हरकतो से स्पष्ट है कि वे सहखातेदारी में नहीं रहना चाहते है व उक्त भूमि का बिना तकासमा करवाये विशिष्ट भू भाग बेचने पर आमादा है इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर बंटवारा कराया जाकर वादी के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करवाये। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती सम्पति मुतनाजा है, उक्त आराजीयात का पूर्व में कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि का बिना बंटवारा करवाये ही उसके उपजाउ विशिष्टि भू भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान करने पर आमादा है तथा वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये है। यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त अवैध मन्सूबो में कामयाब हो गये तो वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धन के रूप में सम्भव नहीं हो सकेगी व पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमे बाजी बढ़ेगी।

यहकि वाद पत्र के जिमन नम्बर 3, 4, में वर्णित कारणो के कारण अब प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी पैदा करने लग गये है। इस कारण वादी व प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजी में शामिल में काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। इसलिए वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का कानूनी बंटवारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार खातदारो के कब्जे काश्त के आधार पर किया जाकर लगान निर्धारित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

यहकि बिनाय दावा बरूए जिमन नम्बर 1 लगायत 6 उक्त विवादित भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने से व प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी पैदा करने से उक्त भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ भू भाग का दीगर व्यक्तियो को बेचान कर निर्माण कार्य करवाने को आमादा होने से पैदा होकर अन्दर मियाद पेश है।

अन्त मे निवेदन किया कि यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि हाल आराजी खसरा नं0–1103/0.3100, 1104/0.3300, 593/0.1900, 594/0.0100, 595/0. 2700, 596/0.1100, 598/2/0.2717, 599/0.1100, 633/0.0300, 648/0.2100, 650/0. 1200 कुल किता 11 कुल रकबा 1.9617 वाकै ग्राम बिशनगढ़, पटवार हल्का – बिशनगढ़, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का वादी व तथा प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 06 के मध्य राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमो के मुताबिक कानूनी बंटवारा करवाया जाकर राज लगान अलग अलग निर्धारित किया जावे जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड मे किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित हाल आराजी खसरा नं0–1103/0.3100, 1104/0.3300, 593/0.1900, 594/0.0100, 595/0. 2700, 596/0.1100, 598/2/0.2717. 599/0.1100, 633/0.0300, 648/0. 2100, 650/0.1200 कुल किता–11 कुल रकबा 1.9617 वाकै ग्राम बिशनगढ़, पटवार हल्का – बिशनगढ़, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर के वादी के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बैजा दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे वादी को शान्ति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 2,4,5,6 की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल कुमावत ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 के फौत हो जाने पर वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत न्यायहित में प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल कुमावत ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1/3 लगायत 1/5 एवं प्रतिवादी संख्या 3 की तामील प्राप्त हो चुकी है अतः प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। उक्त संबंध में वकील प्रतिवादी ने कोई आपत्ति जाहीर नहीं करते हुए प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी। वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर आया कि वकील उभयपक्ष प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमत है एवं दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का है। अतः दिनांक 07.03.2024 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को बंटवारा रिपोर्ट प्रस्ताव भिजवाने बाबत् आदेशित किया गया।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रकरण में तहसीलदार, तहसील शाहपुरा के पत्रांक/मुआसी/2024/2019 दिनांक 26.04.2024 के द्वारा प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का रजिस्टर्ड डाक से सम्मन प्राप्त हुआ जिस पर " प्राप्तकर्ता नहीं मिला" का नोट का अंकन था। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में वकील वादी द्वारा केवल रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश की गई थी ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी। अतः वकील वादी को पुन: प्रतिवादी संख्या 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाने हेतु निर्देशित किया। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 की तामील की ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की। अवलोकन किया गया। ट्रेकिंग रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 की तामील हो चुकी है। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रतिवादी ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं एवं कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 की तामील हो चुकी है बाद तामील उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए दावा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश फरमाये जावे। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व प्राप्त बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट सही होना प्रतीत होती है । अतः दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री किया जाता है। ग्राम बिशनगढ़ तहसील शाहपुरा के हाल आराजी खसरा नंबर 1103/0.3100, 1104/0.3300, 593/0.1900, 594/0.0100, 595/0.2700, 596/0.1100, 598/2/0.2717, 599/0.1100, 633/0.0300, 648/0.2100, 650/0.1200 कुल किता 11 कुल रकबा 1.9617 है0 भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :-

1. **ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण जाति बलाई नि0 ए-119, श्री कल्याणनगर, करतारपुरा जयपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 594 रकबा 0.01 है0, 595/1 रकबा 0.2061 है0, 596 रकबा 0.11 है0, 599 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.4361 है0 भूमि रहेगी।**

2. **मंजू देवी पुत्री रामगोपाल, महेन्द्र कुमार, रोहिताश पि0 रामगोपाल, शकुंतला देवी पत्नी रामगोपाल हि0 5/17, मुरलीधर पुत्र रतना हि0 35/153, रमेशचन्द, लक्ष्मीनारायण पि0**

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

जगन्नाथ हि0 73/153 जाति बलाई सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 593 रकबा 0.19 है, 595/2 रकबा 0.0619, 598/2 रकबा 0.2717, 633 रकबा 0. 03 है0, 648 रकबा 0.21 है0, 650 रकबा 0.12 है0, 1103 रकबा 0.31 है0, 1104 रकबा 0.33 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.5236 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20/5/2024 को सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 42 / 2023

उनवान

1. ओमप्रकाश बैरवा पुत्र श्री रामनारायण, उम्र वयस्क, जाति बलाई, निवासी ए – 119, श्री कल्याण नगर, करतारपुरा, जयपुर, राज0।

– वादी

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र रतना
2. मुरलीधर पुत्र रतना
3. मंजू देवी पुत्री रामगोपाल
4. महेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल
5. रोहिताश पुत्र रामगोपाल
6. शकुन्तला देवी पत्नि रामगोपाल

   समस्त जाति बलाई, निवासी बिशनगढ, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
7. उपखंडीयक अधिकारी शाहपुरा / मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)।
8. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपर, (राज0)।
9. आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक

   आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक :– 20/5/2024

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री किया जाता है। ग्राम बिशनगढ़ तहसील शाहपुरा के हाल आराजी खसरा नंबर 1103 / 0.3100, 1104 / 0.3300, 593 / 0.1900, 594 / 0.0100, 595 / 0.2700, 596 / 0.1100, 598 / 2 / 0.2717, 599 / 0.1100, 633 / 0.0300, 648 / 0.2100, 650 / 0.1200 कुल किता 11 कुल रकबा 1.9617 है0 भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :–

1. **ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण जाति बलाई नि0 ए–119, श्री कल्याणनगर, करतारपुरा जयपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 594 रकबा 0.01 है0, 595 / 1 रकबा 0.2081**

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

है0. 596 रकबा 0.11 है0. 599 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.4381 है0 भूमि रहेगी।

2. मंजू देवी पुत्री रामगोपाल, महेन्द्र कुमार, रोहिताश पि0 रामगोपाल, शकुंतला देवी पत्नी रामगोपाल पि0 5/17, मुरलीधर पुत्र रतना पि0 35/153, रमेशचन्द, लक्ष्मीनारायण पि0 जगन्नाथ पि0 73/153 जाति बलाई सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 583 रकबा 0.19 है. 595/2 रकबा 0.0619, 596/2 रकबा 0.2717, 633 रकबा 0.03 है0, 648 रकबा 0.21 है0, 650 रकबा 0.12 है0, 1103 रकबा 0.31 है0, 1104 रकबा 0.33 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.5236 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 20/5/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (तहसीलदार)
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	